# निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

**प्रकरण संख्या 61/प्रा0पत्र/16** तारिख दायरा: 03.06.2016

राज्य सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

बनाम

01. जगदीश आ0 जगन्नाथ मीणा उचित मूल्य दुकानदार पंचायत लीमी तहसील खानपुर
02. जगन्नाथ पुत्र उदालाल मीणा नि0 लीमी तहसील खानपुर(फोत) जमानतदार का0मु0 – 2/1. पुष्पामीणा पत्नी जगन्नाथ मीणा नि0 वार्ड स0 1 पंचायत लीमी
2/2. मोरध्वज आ0 जगन्नाथ मीणा नि0 वार्ड स0 1 पंचायत लीमी
2/3. हेमराज आ0 जगन्नाथ मीणा नि0 वार्ड स0 1 पंचायत लीमी
2/4. ऋषिराज आ0 जगन्नाथ मीणा नि0 वार्ड स0 1 पंचायत लीमी
2/5. प्रेमराज आ0 जगन्नाथ मीणा नि0 वार्ड स0 1 पंचायत लीमी
2/6. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभूलाल मीणा नि0 सेवनी तहसील खानपुर
03. राधेश्याम पुत्र रत्तीराम मीणा नि0 लीमी तहसील खानपुर (ट्रेक्टर मालिक)

प्रा0पत्र अन्तर्गत वास्ते माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड के द्वारा निर्णित दाण्डिक अपील प्रकरण संख्या 63/15 निर्णय दिनांक 17.03.2016 के आदेश से रिमाण्ड पत्रावली पुनः सुनवाई पर लिये जाने।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
श्री हेमराज अप्रार्थी 2/3 स्वंय

–: निर्णय :– दिनांकः 26.08.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी,झालावाड द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6अ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 52.19 क्विंटल गेंहू को राजसात करने बाबत प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 5/प्रा0पत्र/04 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 31.08.2006 से गेंहू का राजसात करने व प्रकरण में जब्त ट्रेक्टर आरजे 17 आर 1517 मय ट्राली के गेंहू के दुरूपयोग में सहयोग करने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा 250000/-- अक्षरे दो लाख पचास हजार की जमानत पर छोडा गया था इस राशि की 10 प्रतिशत 25000/– राशि जामिन से जुर्माना स्वरूप वसूलने के आदेश पारित किये गये । जिस पर अप्रार्थी द्वारा माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण संख्या 63/15 निर्णय दिनांक 17.03.2016 से प्रकरण अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित ट्रेक्टर–ट्राली के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विधिक अधिकारिता रखने वाले व्यक्तिगण को समुचित रूप से सूचना पत्र जारी कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्राप्त हुआ।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जगदीश एफपीएस डीलर व ट्रेक्टर–ट्राली के तत्समय के जमानतदार जगन्नाथ व ट्रेक्टर–ट्राली के मालिक राधेश्याम को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी 1 की और से अभिभाषक श्री धीरजसिंह झाला का व अप्रार्थी न0 3 की और से अभिभाषक श्री विनोद जैन का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ किन्तु दौराने सुनवाई उपस्थित नही हुए। अप्रार्थी न0 2 जमानतदार जगन्नाथ के फोत होने पर उसके का0मु0 की तलबी की गई,दौराने सुनवाई का0मु0 2/3 हेमराज उपस्थित हुए बाकि का0मु0 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी गई। योग्य पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय प्राप्त सूचना के आधार पर एफपीएस डीलर जगदीश द्वारा अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अनुमति के बीपसीएल व अन्तयोजना अन्न योजना का गेंहू को अन्यत्र ले जाया जाना पाया जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिअनुरूप कार्यवाही कर जब्त गेंहू को राजसात करने व जमानत की 10 प्रतिशत राशि को जुर्माना स्वरूप वसूलने के आदेश पारित किये गये थे जो उचित था। तत्समय डीलर के विरूद्ध की गई कार्यवाही बाबत 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए थाना खानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 87/04 दर्ज करवाई गई थी जिस पर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष चालान प्रस्तुत होने पर प्रकरण सख्या 746/04 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 19.03.2014 से माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिमान के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार मानकर दोषमुक्त किया गया है। अप्रार्थी हेमराज द्वारा प्रकरण बाबत किसी भी जानकारी होने से इन्कार किया गया।

हमने बहस पेरोकार रसद पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। चूंकि हमारी जानकारी में यह तथ्य आ चुके हैं कि तत्समय जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6अ के तहत न्यायालय हाजा में कार्यवाही सम्पादित कि गई व इसी अधिनियम में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तत्समय ट्रेक्टर–ट्राली में जब्त 52.19 क्वि० गेंहू बाबत कार्यवाही में थाना खानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 87/04 दर्ज करवाई गई थी जिस पर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ द्वारा प्रकरण सख्या 746/04 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 19.03.2014 से मुलजिमान के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार मानकर दोषमुक्त किया गया है। उपरोक्तानुसार जब कि जब्त गेंहू बाबत प्रस्तुत प्रकरण में मुलजिमान को दोषमुक्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में जिस ट्रेक्टर–ट्राली से उक्त गेंहू जब्त किये गये थे में न्यायालय हाजा से कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़